

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 34/2018

आर.सी.एम.एस. : 2018/00057

सायल :-

बनाम

गैरसायल:-

सरकार जरिये जिला पुलिस  
अधीक्षक पाली

तेजकुमार पुत्र केसरी चंद जाति जैन निवासी  
पुष्करणा भवन के पास, पानी दरवाजा पाली,  
पुलिस थाना कोतवाली, पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :

सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली  
गैरसायल की ओर से अधिवक्ता प्यारे खान उपस्थित।



:: निर्णय ::

दिनांक :- 31/12/2018

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 16.05.2017 को गैरसायल तेजकुमार पुत्र केसरी चंद जाति जैन निवासी पुष्करणा भवन के पास, पानी दरवाजा पाली, पुलिस थाना कोतवाली, पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली, पाली का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2010 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। उक्त समस्त प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	थाना	मु.नं./दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय
1	कोतवाली	169/1988	13 RAGO	सजा
2	कोतवाली	65/1990	13 RAGO	सजा
3	कोतवाली	425/1999	13 RAGO	सजा
4	कोतवाली	303/13.06.14	13 RAGO	दि. 12.08.2014 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 50 रु जुर्माना
5	कोतवाली	175/08.04.2015	13 RAGO	दि. 12.05.2015 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 50 रु जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल तेजकुमार पुत्र केसरी चंद जाति जैन निवासी पुष्करणा भवन के पास, पानी दरवाजा पाली, पुलिस थाना कोतवाली, पाली जुए के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृत्ति में लिप्त है। जो आदतन जुहारी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैरसायल ने उक्त परिवाद का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही कोई शहादत सूची प्रस्तुत की।


ए0पी0पी0 एवं विद्वान अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली का अब्बल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरुद्ध सूचना देने में भी कतराते हैं, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन जुआरी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

वकील गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल को न्यायालय द्वारा परीक्षका का लाभ दिया गया है तथा गैरसायल किसी भी रूप में जुए का धन्धा नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासा दायर करने से छह माह पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधी में नहीं आता है। अतः कार्यवाही निरस्त करावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2002 (4) पेज 2181 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.द.), पाली द्वारा प्रकरण संख्या 147/2015 में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2015 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50 रूपये के जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 250/2014 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2014 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50 रूपये के जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल तेजकुमार पुत्र केसरी चंद जाति जैन निवासी पुष्कर भवन के पास, पानी दरवाजा पाली,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली



पुलिस थाना कोतवाली, पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली, पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना आनन्दपुर कालु जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात् दिनांक से 30 दिन के लिये पुलिस थाना आनन्दपुर कालु जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात् 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी आनन्दपुर कालु जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल तेजकुमार, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, गैरसायल तेजकुमार को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना आनन्दपुर कालु जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी आनन्दपुर कालु उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली एवं थानाधिकारी आनन्दपुर कालु पाली को भिजवाई जावे।



(भागीरथ विश्नोई)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ विश्नोई)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली